



दिनांक :- 23.11.2021

## महाविद्यालय की भ्रामक जानकारी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे – इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि पर भ्रामक जानकारी, सूचनाएं तथा वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जो महाविद्यालयीन विद्यार्थी नियमों के विरुद्ध है। ऐसे समस्त पेज, आई.डी., फेसबुक अकाउंट सभी तत्काल बंद करें।

अतः ऐसे विद्यार्थी तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता से मिले अन्यथा ऐसे विद्यार्थियों को निष्कासित करते हुए स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) दे दी जावेगी। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में सायबर क्राईम एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा रही है।

नोट – यदि विद्यार्थी ऐसा कृत्य करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्राचार्य